सं. 4/46/2017-दीपम-II-ए
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

<u>एचएलएल लाइफ केयर लि. के सामरिक विनिवेश के लिए विधिक सलाहकारों की नियुक्ति।</u>

1. <u>प्रस्तावना</u>

1.1 एचएलएल लाइफ केयर लि. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की एक सूचीबद्ध कंपनी है। वित्त वर्ष 2016-17 में कंपनी का कुल कारोबार 1064.71 करोड़ रुपये था। 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य 487.93 करोड़ रुपये है।

1.2 एचएलएल ने अपना सफर वर्ष 1966 में मात्र एक गर्भनिरोधक इकाई के साथ आरंभ किया था। आज यह एक संपूर्ण हेल्थ केयर प्रदायी कंपनी है और बहु -उत्पाद, बहु-अवस्थिति वाला संगठन है जो अधिकांश जनता के सामने आ रही विभिन्न जन -स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान कर रहा है। नवीकरणीय उत्पादों और सामाजिक कार्यक्रमों की व्यापक व्यवस्था के साथ एचएलएल लाइफ केयर लि . 'स्वस्थ पीढ़ियों के लिए नवान्वेषण ' के अपने दृष्टिकोण की ओर अग्रसर है। एचएलएल विश्व में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो गर्भनिरोधकों के सबसे अधिक उत्पादों का निर्माण और विपणन करती है। यह कंडोम की श्रृंखला उपलब्ध करा ने में अद्वितीय है जिनमें महिला कंडोम, इंट्रा गर्भाशय के उपकरण , ओरल गर्भनिरोधक गोलियां - स्टेरायडल , गैर-स्टेरायडल और आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां और ट्यूबल रिंग्स शामिल हैं। एचएलएल की स्वास्थ्य सेवा उत्पाद श्रेणी में रक्त संग्रह बैग, सर्जिकल सूटर्स, टीके, महिलाओं के स्वास्थ्यसेवा फार्मा उत्पाद, इन-विट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट किट , हाइड्रोसिफलस शंट, टिशू एक्सपैंडर्स, नीडल डेस्ट्रॉयर्स, ब्लड बैंक उपकरण, आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स , सेनेटरी नैपकिन और ओरल रीहायड्रेशन साल्ट्स शामिल हैं। विगत पंद्रह वर्षों से एचएलएल ने लगातार प्रत्यक्ष विपणन के लिए एक मजबूत और ठोस बुनियादी ढांचे की स्थापना की है। एचएलएल ने समूचे भारतीय महाद्वीप में एक विशाल वितरण नेटवर्क स्थापित किया है। एचएलएल की वर्तमान में भारत के दूरस्थ भागों में स्थित 1 लाख से अधिक गांवों सहित की 1 मिलियन खुदरा दुकानों तक पहुंच है। एचएलएल के उत्पादों को आज 70 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। कंपनी ने योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन करने के उद्देश्य से विशेष रूप से प्रजनन स्वास्थ्य , महिला सशक्तिकरण और एचआईवी रोकथाम और नियंत्रण गतिविधियों के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र की हस्तक्षेप परियोजनाओं को डिजाइन करने और कार्यान्वित करने के उद्देश्य के लिए 1992 में गैर-लाभकारी संस्था हिंदुस्तान लेटेक्स परिवार नियोजन संवर्धन ट्रस्ट (एचएलएफपीपीटी) की स्थापना की। एचएलएफपीपीटी आज भारत में शीर्ष सामाजिक विपणन संगठन में से एक है । एचएलएल द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रमुख प्रौद्योगिकी सहयोगियों में जापान के ओकामोतो; फिनिशिंग एंटरप्राइजेज, यूएसए; फीमेल हेल्थ कंपनी, यूके; और चीन के बीजिंग ज़िहु फार्मा शामिल हैं। एचएलएल की गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्रों के साथ सात अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएं हैं। इसके संयंत्रों में निर्मित उत्पादों को "सीई" अंकन सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। एचएलएल आज

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि यूएनएफपीए, यूएनओपीएस, यूएनएचसीआर, डब्ल्यूएचओ, पीएसआई और आईडीए द्वारा प्रबंधित विभिन्न वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए गर्भनिरोधकों और स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद उपलब्ध कराने वाला एक अग्रणी प्रदाता है। इसके महिला कंडोम और यूनिपिल विनिर्माण सुविधाएं यूएनएफए-डब्ल्यूएचओ से पूर्व अर्हता प्राप्त हैं और उत्पादों को कई देशों में पूर्व-अर्हता के आधार पर पंजीकृत किया जा रहा है।

1.3 कंपनी का पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय एचएलएल भवन , महिलमंडिरम रोड, पूजपुरा, तिरुवनंतपुरम -6950012, केरल में है। लगभग 5000 कर्मचारियों और भागीदारों के रूप में विश्व की कई अग्रणी कंपनियों के साथ, एचएलएल ने पिछले चार दशकों में एक उच्च वृद्धि को हासिल करने और बनाए रखने के लिए अपने लक्ष्य को कायम रखने के लिए और अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये हैं - ग्राहक , कर्मचारी, व्यवसाय, उद्योग और सामाजिक पहल।

1.4 सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम वर्तमान में, एचएलएल की पांच सहायक कंपनियां और एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जो निम्नानुसार हैं :

1.4.1 एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल): यह लगभग 600 करोड़ रुपये के निवेश के साथ राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए वैक्सिन और न्यू जेनरेशन वैक्सिन के उत्पादन के लिए एचएलएल की 100% सहायक कंपनी है। यह सुविधा तमिलनाडु में चेन्नई के पास चेंगलपट्टू में स्थापित की जा रही है। एच बीएल पहले चरण में 585 मिलियन डोस की वार्षिक क्षमता के साथ पेंटावलेंट कंबीनेशन (डीपीटी प्लस हेप बी प्लस एचआईबी) , बीसीजी, मेसल्स, हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन रेबीज, एचआईबी और जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) टीके का निर्माण करेगा।

1.4.2 एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड (एचआईटीईएस): वर्ष 2014 में स्थापित एचआईटीईएस एचएलएल की 100% सहायक कंपनी है, जो कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों की खरीद के लिए विशेष ज्ञता प्राप्त है। एचआईटीईएस निर्माण परियोजनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निष्पादन में सेवाएं प्रदान करती है।

1.4.3 गोआ एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल): यह फार्मास्युटिकल विनिर्माण क्षेत्र में एचएलएल की सहायक कंपनी है। जीएपीएल के 74% शेयर एचएलएल के पास हैं और शेष 26% ईडीसी लिमिटेड, गोवा के पास धारित हैं।

1.4.4 एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एचएमएल): 20 दिसंबर, 2016 को एचएलएल की सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया, मेडिपार्क की परिकल्पना विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी अवसंरचना पार्क के रूप में की गई है जो मेडिकल उपकरण को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना संबंधी सहायता प्रदान करता है। एक बार पूरी तरह से संचालन के बाद मेडिपार्क, मेडिकल डिवाइस सेक्टर में भारत की पहली क्षेत्र विशिष्टीकृत पहल होगी। मेडिपार्क को तमिलनाडु में चेन्नई के पास चेंगलपट्टू में इस परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा दीर्घकालिक पट्टे पर हस्तांतरित 330 एकड़ जमीन पर स्थापित किया जा रहा है।

1.4.5 एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिट ल्स लिमिटेड: एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड को 01 अगस्त, 2017 को एचएलएल की एक 100% सहायक कंपनी के रूप में उत्तर प्रदेश में 20 जिलों में 100-100 बिस्तरों वाले मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल स्कंधों को सुसज्जा,

वित्तपोषण, संचालन, रखरखाव और हस्तांरण के संबंध में पीपीपी मॉडल के माध्यम से संचालनात्मक बनाने के लिए एक विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया था।

1.4.6 लाइफ स्प्रिंग हॉस्पिटल्स (पी) लिमिटेड : लाइफ स्प्रिंग एचएलएल और अक्यूमन फंड इंक , के बीच 50:50 संयुक्त उद्यम है जो हैदराबाद में मातृत्व देखभाल अस्पता लों का संचालन कर रहा है। वर्तमान में, यह संयुक्त उद्यम हैदराबाद में 11 अस्पतालों के के समूह का संचालन कर रहा है।

1.5 कंपनी की वेबसाइट http://www.lifecarehll.com है।

2. प्रस्ताव

2.1 भारत सरकार ने **एचएलएल लाइफ केयर लि.** के वैक्सीन उदयम और मैडीपार्क को अलग विशेष प्रयोजन कंपनियों के रूप में 3 माह की अवधि के अंदर अलग करने और उसके बाद एचएलएल लाइफकेयर लि. में सरकार की 100% इक्विटी का दो-चरणीय नीलामी प्रकिया के माध्यम से सामरिक विनिवेश करने का "सैद्धांतिक" निर्णय लिया है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को भारत सरकार की ओर से , सरकार के लिए विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करने और सामरिक विनिवेशक तथा उपर्युक्त दो सहायक कंपनियों के पृथकीकरण की प्रक्रिया में सरकार की सहायता करने के लिए विख्यात विधिक फर्मों की सेवाओं की आवश्यकता है जिनके पास विलय एवं अधिग्रहण/अधीनीकरण/सामरिक विनिवेश में अनुभव और विशेषज्ञता हो।

2.2 पात्र घरेलू विधिक फर्म "पात्रता मापदंड" में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार विधिक फर्मों के चयन के लिए नीचे उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं।

3. कार्यक्षेत्र

(i) संपत्तियों/परिसंपत्तियों/स्थावर संपदा के सभी विधिक करारों , अधिकारों, कर्मचारियों आदि के साथ बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों और करारों के संबंध में समीक्षा करना और सलाह देना।

(ii) विशेष तौर पर अधिकारों , भूमि और संपत्ति , बौद्धिक संपत्ति अधिकारों , मुकदमों से संबंधित प्रकटीकरणों और सूचना ज्ञापन में अन्य उन प्रकटीकरणों के संबंध में सूचना ज्ञापन की समीक्षा करना जिनके लिए विधिक पुनरीक्षण आवश्यक हो।

(iii) आरएफपी दस्तावेज की समीक्षा।

(iv) सौदा संबंधी दस्तावेजों का प्रारूपण जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :
- बिक्री करार, शेयर खरीद करार, गोपनीयता करार/गैर-प्रतिस्पर्धा करार आदि।
- कोई अन्य अनुषांगिक करार जो सौदे के समापन में सहायता हेतु अपेक्षित हो।

(v) उचित उद्यमिता और डाटा कक्ष की तैयारी हेतु व्यवस्था में सलाह और सहायता देना।

(vi) सौदे की संरचना पर सलाह देना, जिसमें, यथा-अपेक्षित, सेबी के दिशा-निर्देशों, स्टॉक एक्सचेंज सूचीकरण दिशा-निर्देशों, कंपनी अधिनियम, आय कर अधिनियम और किसी अन्य प्रासंगिक कानून का अनुपालन शामिल है।

(vii) आवश्यक निगमित संकल्पों की समीक्षा, जिसमें, यदि अपेक्षित हो, सहायक कंपनी की जानकारी/सहायक कंपनी या शैल कंपनी आदि को व्यवसाय के अंतरण की जानकारी शामिल है।

(viii) संभावित सामरिक भागीदार के साथ बातचीत में यथा-अपेक्षित सहयोग जिसमें विनिवेश प्रक्रिया के दौरान और विनिवेश प्रक्रिया से संबंधित विधिक मामलों पर सलाह देना शामिल है।

(ix) कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन स्कीम या कर्मचारियों के लिए किसी अन्य उस स्कीम का मसौदा तैयार करने में सहायता करना जो कानून सम्मत हो।

(x) सौदे के समापन को सुविधाजनक बनाना।

(xi) किन्हीं उन मुद्दों में सहायता करना जो सौदे के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं।

(xii) विधिक सलाहकार को सौदा सलाहकार और दीपम/ प्रशासनिक मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग द्वारा सौदे हेतु नियुक्त अन्य मध्यस्थों के साथ गहरा तालमेल बनाकर काम करना होगा।

(xiii) संरचनात्मक, विधिक, वित्तीय तथा प्रक्रियात्मक गतिविधियों, उचित उद्यमिता, दस्तावेज प्रारूपण, एजेंसियों/विनियामक प्राधिकरणों के पास दायर किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज तैयार करने और दायर करने , लागू नियमों और विनियमों के अनुसार औपचारिकताएं पूरी करने तथा सीपीएसईस की सहायक कंपनियों /इकाईयों पृथकीकरण को ध्यान में रखते हुए सौदे की संरचना तैयार करने सहित सभी सहबद्ध गतिविधियों में सरकार की सहायता करना।

उपरोक्त विचारार्थ विषय संकेतात्मक हैं और प्रकृति में गैर-सीमित हैं। ऐसी कुछ प्रासंगिक सेवाएं हो सकती हैं, जिन्हें पूर्वोक्त कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यदि वे भारत सरकार द्वारा विधिक सलाहकार के संज्ञान में लाई जाएं तो वे कार्य क्षेत्र का एक अभिन्न और अनिवार्य भाग होंगी।

4. <u>पात्रता मापदंड</u>

4.1 घरेलू विधिक फर्म को एक सुविख्यात परामर्शदायी फर्म होना चाहिए, जिसके पास सामरिक विनिवेश या सामरिक बिक्री या विलय और अधिग्रहण गतिविधियों या वैयक्तिक इक्विटी निवेश सौदे के लिए परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने का कम से कम **पांच वर्ष** का अनुभव हो।

4.2 बोलीदाताओं द्वारा **01 अप्रैल, 2014 से 30 सितंबर, 2017** तक की अवधि के दौरान **300 करोड़ रुपये** या उससे बड़े आकार के कम से कम एक सामरिक विनिवेश या सामरिक बिक्री या विलय और अधिग्रहण गतिविधियों या वैयक्तिक इक्विटी निवेश संबंधी सौदे में सलाह दी गई हो , काम किया गया हो और उसे सफलतापूर्वक संपन्न किया गया हो।

5. <u>प्रस्ताव का प्रारूप और तकनीकी मूल्यांकन के मापदंड</u>

5.1 इच्छुक विधिक फर्में अपने प्रस्ताव को निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करेंगी :

5.1.1 विलय तथा अधिग्रहण /अधीनीकरण/सामरिक विनिवेश/निजी इक्विटी संबंधी कार्य में अनुभव और क्षमता (मूल्यांकन हेतु महत्व 25/100)

(i) संस्था की रूपरेखा

(ii) फर्म की दक्षता, सक्षमता एवं विगत अनुभव तथा सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में सौदे के समापन के बाद की जाने वाली अपेक्षित खुली पेशकशों सहित ऐसे कार्यों के संचालन में उसकी विशेषज्ञता

(iii) सरकार के साथ तथा सौदा सलाहकार टीम के एक भाग के रूप में अन्य मध्यस्थों के समन्वय में, कार्य करने की क्षमता प्रदर्शित करना।

5.1.2 आधारभूत सुविधाएं जैसे शाखा कार्यालय एवं मानव शक्ति (मूल्यांकन हेतु महत्च 25/100)

(i) भारत में आधारभूत सुविधाओं का विवरण जैसे कि कार्यालय एवं मानवशक्ति आदि।

(ii) मुख्य एवं सहयोगी दलों का विवरण (प्रत्येक टीम सदस्य के शैक्षिक एवं संबंधित अनुभव समेत संपूर्ण वैयक्तिक ब्यौरा), जिन्हें चयनित होने पर प्रत्येक कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा।

5.1.3 विनियामक ढांचे की समझ (मूल्यांकन हेतु महत्व 15/100)

(i) विलय तथा अधिग्रहण/अधीनीकरण/सामरिक विनिवेश में , विशेषकर सेबी विनियमों , कंपनी अधिनियम , एफडीआई दिशा-निर्देश आदि के संदर्भ में विधिक , नीतिगत एवं विनियामक मामलों की समझ का प्रदर्शन करें।

(ii) विनियामक आवश्कताओं की पूर्ति करने तथा संबंधित प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने की अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करें।

(iii) उड्डयन क्षेत्र में विधिक, नीतिगत और विनियामक मुद्दों की समझ प्रदर्शित करें जिसमें विमान अधिनियम, विमान नियम, विमान पट्टा करार आदि शामिल हैं।

5.1.4 संकेतात्मक समय-सीमा (मूल्यांकन हेतु महत्व 10/100)

(i) समय-सारणी की अपेक्षा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की क्षमता तथा सौदे की पूर्ण अवधि में मुख्य कार्मिकों की कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की क्षमता का प्रदर्शन करें। प्रस्तावित सौदे के लिए समय-सीमा सुझाएं।

5.1.5 सामरिक विनिवेश हेतु रणनीति (मूल्यांकन हेतु महत्व 25/100)

(i) प्रस्तावित सौदों के लिये निश्चित दृष्टिकोण को दर्शाये जिसमें सौदे की क्रमबद्धता भी सम्मिलित हो।

(ii) स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के पास दायर किए जाने वाले गुणवत्ता दस्तावेज तैयार करने या वे करार तैयार करने की क्षमता दर्शाएं, जो सौदे के दौरान संपन्न किए जाने अपेक्षित हों।

5.2 बोलीदाताओं को तकनीकी मूल्यांकन हेतु सूचीबद्ध करने के मानक पूर्व निर्धारित होंगे तथा तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं के नाम पर वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु विचार किया जाएगा।

6. बोली-पूर्व बैठक

एक बोली-पूर्व बैठक प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तारीख से पहले आयोजित की जाएगी। तारीख, समय और स्थान की जानकारी उचित समय पर दीपम की वे बसाइट पर डाल दी जाएगी। इच्छुक पार्टियां बोली-पूर्व बैठक से पहले अपने प्रश्न नीचे पैराग्राफ 7.2 में दिए गए अनुसार बोली प्राप्त करने के लिए अधिकृत अधिकारी को ई-मेल से भेज सकती हैं।

7. <u>प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण</u>

7.1 प्रस्ताव को निम्नानुसार **दो लिफाफों** में प्रस्तुत किया जाए :

(i) लिफाफा 1 जिसमें निम्नलिखित शामिल हों :

(i) पैरा 5 में दिए गए प्रारूप के अनुरूप तकनीकी बोली;
(ii) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्राधिकार पत्र;
(iii) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित `दोषसिद्धि हीनता` और `टकराव हीनता` के संबंध में **अनुबंध -I** के अनुसार एक शपथ-पत्र-सह-वचनबद्धता प्रस्तुत करें;
(iv) **अनुबंध -II** में दिए गए प्रारूप में गोपनीयता वचनबद्धता;
(v) **अनुबंध -III** में दिए गए प्रारूप में शर्तरहित बोली के संबंध में प्रमाण -पत्र। कृपया नोट करें कि सशर्त बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा;
(vi) यह प्रमाण-पत्र कि चयन और नियुक्ति की दशा में उद्धृत शुल्क के 5% के समान एक कार्य निष्पादन गारंटी डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रूप में दी जाएगी जो सौदे की समाप्ति तक वैध हो।
(vii) एक **50,000 रुपये** (मात्र पचास हजार रुपये) का अप्रतिदाय शुल्क।

(ii) **लिफाफा 2 (सीलबंद)** जिसमें **अनुबंध-IV** में दिए गए प्रारूप में वित्तीय बोली हो।

7.2 प्रस्ताव (दोनों लिफाफे) की पठनीय मूल प्रतियां, जो विधिक सलाहकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, श्री प्रिय रंजन, अवर सचिव, दीपम, कक्ष सं. 203, दूसरा तल, ब्लॉक नं. 11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 को **दिनांक 18.01.2018 को 1500 बजे** तक जमा की जा सकती हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के डाक/कोरियर संबंधी विलंब के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

7.3 रूचि की अभिव्यक्ति को **18.01.2018 को 1530 बजे** निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सम्मेलन कक्ष (कमरा सं. 515, पांचवा तल, ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003) में निविदा खोलने वाली समिति के द्वारा बोलीदाताओं की मौजूदगी में खोला जाएगा।

7.4 सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इस प्रकार प्राप्त किसी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

7.5 केवल उन पार्टियों की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त कर लें।

8. <u>चयन की प्रक्रिया</u>

8.1 अर्हताप्राप्त इच्छुक विधिक फर्मों (आवेदकों) को दीपम के सम्मेलन कक्ष (कमरा सं. 515 , पांचवा तल, ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003) में चयन समिति के समक्ष अपने प्रस्ताव के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण करना होगा।

8.2 प्रस्तुतीकरण हेतु समय सारणी, उचित समय पर दीपम की वेबसाइट (www.dipam.gov.in) पर डाल दी जाएगी।

8.3 बोलीदाताओं का मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण तथा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर ऊपर पैरा 5 में दिए गए मानदंडों के आधार पर , अंतर-मंत्रालय समूह द्वारा किया जाएगा तथा वह उनकी वित्तीय बोली खोलने के लिए उन्हें संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जाएगा। केवल उन्हीं पार्टियों को तकनीकी रूप से संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्होंने 100 में से पूर्वनिर्धारित अंक , जिसकी घोषणा प्रस्तुतीकरण से पहले कर दी जाएगी , प्राप्त किए हों। चयन समिति द्वारा केवल संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी। निम्नतम बोलीदाता को कार्य सौंपा जाएगा।

8.4 वित्तीय बोली में समान स्थिति की दशा में तकनीकी बोली में अधिक अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।

9. <u>वित्तीय बोली हेतु आवश्यकताएं</u>

(क) बोलीदाता को पूर्वोक्त कार्यक्षेत्र हेतु सभी लागू करों सहित भारतीय रूपए में एक नियत एकमुश्त शुल्क उद्धृत करना होगा।

(ख) उद्धृत शुल्क में किसी भिन्नता के मामले में आंकड़ों में दी गई संख्या को वित्तीय बोली के मूल्यांकन सहित सभी प्रयोजनों हेतु सही माना जाएगा।

(ग) बोलीदाता द्वारा उद्धृत किया गया शुल्क सौदे की सफल समाप्ति तक नियत रहेगा।

(घ) बोलीदाता द्वारा उद्धृत किया गया शुल्क शर्त रहित हो गा। अन्य सभी व्यय का वहन बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।

(ङ) बोलीदाता विधि के अनुसार लागू करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

10. भुगतान की शर्तें

चयनित बोलीदाता को शुल्क का भुगतान भारतीय रुपये में इस प्रकार किया जाएगा :

(क) उद्धृत और सरकार द्वारा स्वीकृत शुल्क में से 20% का भुगतान, संभावित क्रेताओं से रूचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करने के लिए आरएफपी जारी करने और उन्हें संक्षिप्त सूचीबद्ध करने पर किया जाएगा।

(ख) 50% का भुगतान, संभावित क्रेताओं से वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार करने पर किया जाएगा।

(ग) 30% का भुगतान, सौदे की सफल समाप्ति पर किया जाएगा।

11. <u>भुगतान की पद्धति</u>

भुगतान की व्यवस्था के लिए फर्म को इनवॉयस तीन प्रतियों में दीपम को देना होगा । शुल्क के भुगतान के लिए बिल तैयार करते समय अलग-अलग कर अलग-अलग दर्शाए जाने चाहिएं। तथापि , सकल राशि वित्तीय बोली में उद्धृत आंकड़ा होनी चाहिए जिसके आधार पर बोलीदाता का चयन किया गया था।

11.1 आवेदक के लिए एकमुश्त शुल्क उद्धृत करना अपेक्षित है जिसमें नियम के अनुसार आवेदक द्वारा देय कर शामिल हों।

11.2 उद्धृत फीस बिना किसी शर्त के होनी चाहिए तथा उसमें सभी खर्च सम्मिलित होना चाहिए। गौर किया जाए कि विधिक फर्म वित्तीय बोली की वैधता के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकती।

11.3 किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु श्री प्रिय रंजन, अवर सचिव, दीपम, वित्त मंत्रालय, कक्ष सं. 203, दूसरा तल, ब्लॉक नं. 11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 को टेलीफोन नं. 011-24368736, फैक्स सं. 24368502, ई-मेल priya.ranjan@nic.in पर संपर्क करें।

*****

अनुबंध-I हेतु कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

अनुबंध-II

गोपनीयता वचनबद्धता

यह प्रमाणित किया जाता है कि (कंपनी का नाम) से संबंधित दस्तावेज/आंकड़े/जानकारी जो (बोलीदाता का नाम) को सलाह या उसके संबंध में अन्यथा उपलब्ध कराई जाएगी, अत्यंत गोपनीय मानी जाएगी और (बोलीदाता का नाम) द्वारा कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी बाहरी एजेंसी/व्यक्ति को नहीं सौंपी जाएगी।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मूल्यांकन रिपोर्टें और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो (बोलीदाता का नाम) द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे, उन्हें कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी बाहरी एजेंसी/व्यक्ति को प्रकट नहीं किया जाएगा और अत्यंत गोपनीय माना जाएगा।

मोहर सहित बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर

अनुबंध-III

<u>बोलीदाता के लैटरहैड पर शर्त रहित बोली का प्रारूप</u>

सेवा में,

महोदय,

यह प्रमाणित किया जाता है **एचएलएल लाइफ केयर लि .** के सामरिक विनिवेश के लिए विधिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए हमारे द्वारा उद्धृत शुल्क , दीपम, वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रस्तावों हेतु अनुरोध में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार है और शर्तरहित है।

मोहर सहित बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर

बोलीदाता के लैटरहेड पर मूल्य बोली का प्रारूप

क्र. सं.	**कार्य का वर्णन**	**भारतीय रुपये में शुल्क (सब कुछ मिलाकर)**
1.	सभी लागू करों सहित भारतीय रुपये में नियत एकमुश्त शुल्क अन्य सभी खर्चों का वहन (बोलीदाता का नाम) द्वारा किया जाएगा	(अंकों में) (शब्दों में)

टिप्पणी :

1) उद्धृत शुल्क में अंकों और शब्दों में किसी भिन्नता के मामले में शब्दों में दी गई संख्या को सभी प्रयोजनों हेतु सही माना जाएगा।

2) चूंकि, बोली में सभी कर शामिल हैं इसलिए कर की कोई अतिरिक्त देयता, जो केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा कर दर में किसी परिवर्तन या अतिरिक्त करों के आधार पर उत्पन्न हो सकती है, का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।

मोहर सहित बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर